न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
49/2025	13.01.2025	5.3.2025

1. श्रीमती लाडबाई पत्नि छोगालाल बलाई, निवासी मलाण तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)

– प्राथी

बनाम

1. बन्नाराम पुत्र गोमा भांबी, निवासी गायत्री नगर, हठिल्या हनुमान जी के पास, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. रामेश्वर पुत्र गोमा भांबी,, निवासी श्री नगर, बिहारी कॉलोनी के पास, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. कृष्णमुरारी पुत्र प्यारचन्द बैरवा, निवासी गणेश मन्दिर के पास गांधीनगर, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. गोरधनलाल पुत्र प्यारचन्द बैरवा, निवासी गणेश मन्दिर के पास गांधीनगर, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. घनश्याम पुत्र प्यारचन्द बैरवा, निवासी गणेश मन्दिर के पास. गांधीनगर, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. चांदी बाई पत्नि प्यारचन्द बैरवा, निवासी गणेश मन्दिर के पास गांधीनगर, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज)
7. दुर्गालाल पुत्र हेमा बैरवा, निवासी गणेश मन्दिर के पास, गांधीनगर, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
8. धापु पत्नि प्यारचन्द बैरवा, निवासी गणेश मन्दिर के पास, गांधीनगर, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
9. राधा पत्नि मांगीलाल बैरवा, निवासी गणेश मन्दिर के पास गांधीनगर, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
10. गिरधारी लाल पुत्र जानकी वल्लभ ब्राहाण, निवासी डाक बंगला रोड़ गांधी नगर भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
11. हेमा पुत्र कालू चमार, निवासी गणेश मन्दिर के पास, गांधी नगर भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.) डा
12. शांता देवी पुत्री मांगीलाल बलाई, निवासी मलाण, सुभाष नगर, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
13. श्री प्यारा पुत्र गोकल चमार, निवासी गणेश मन्दिर के पास, गांधी नगर भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

14. देऊ बाई पुत्री मांगीलाल बलाई, निवासी पुरानी तहसील के पास, जूनावास भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
15. श्रीमती कंचन देवी पत्नि सीताराम खटीक, निवासी सांगानेरी गेट भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
16. राजस्थान राज्य जरिये तसहीलदार भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज.) ।

विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी श्री विनोद तिवारी
अप्रार्थी संख्या 01 से लगाकर 15 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पांसल पटवार हल्का पांसल भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पांसल तहसील व जिला–भीलवाड़ा की सरहद मे हम प्रार्थीगण की कृषि आराजिया स्थित है जिसका विवरण सम्वत् 2073 से 2076 तक में दर्ज खाता संख्या नया 1634 पुराना 1444 में वर्णित आराजी संख्या 3577,रकबा 0.2529 हेक्टर, आराजी संख्या 3583 रकबा 0.2782 हैक्टयर कुल किता 2 रकबा 0.5311 हैक्टयर भूमि स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और प्रतिवादी गैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी संख्या 01 से लगायत 15 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

मेंने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम पांसल पटवार हल्का पांसल भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पांसल तहसील व ज़िला–भीलवाड़ा की सरहद मे हम प्रार्थीगण की कृषि आराजिया स्थित है जिसका विवरण सम्वत् 2073 से 2076 तक में दर्ज खाता संख्या नया 1634 पुराना 1444 में वर्णित आराजी संख्या 3577,रकबा 0.2529 हेक्टर, आराजी संख्या 3583 रकबा 0.2782 हैक्टयर कुल किता 2 रकबा 0.5311 हैक्टयर भूमि स्थित है। भूमि कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 04.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाड़ा